

कार्यालय – सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक : समन्वय/23/ 14-54/

दिनांक : 12/07/2013

## विज्ञापित

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की वर्ष 2014 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र तथा निर्धारित शुल्क जमा करने की तिथियाँ निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं :-

क्र. सं.	विवरण	हाईस्कूल परीक्षा		इण्टरमीडिएट परीक्षा	
		संस्थागत	व्यक्तिगत	संस्थागत	व्यक्तिगत
1	परीक्षा शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	रु0 200.00	रु0 600.00	रु0 350.00	रु0 700.00
2	अंकपत्र शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	रु0 10.00	रु0 10.00	रु0 10.00	रु0 10.00
3	अग्रसारण शुल्क(प्रति परीक्षार्थी)	—	रु0 10.00	—	रु0 10.00
4	केवल एक विषय का शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	—	रु0150.00	—	रु0 150.00
5	प्रवर्जन प्रमाण पत्र शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	—	—	रु0 50.00	रु0 50.00
6	विलम्ब शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	—	रु0 150.00	—	रु 150.00
7	निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन-पत्र अग्रसारित कराने की अन्तिम तिथि	31 जुलाई, 2013	14 अगस्त, 2013	31 जुलाई, 2013	14 अगस्त, 2013
8	विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र अग्रसारित कराने की अन्तिम तिथि	—	24 अगस्त, 2013	—	24 अगस्त, 2013
9	खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन-पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	14 अगस्त, 2013	28 अगस्त, 2013	14 अगस्त, 2013	28 अगस्त, 2013
10	खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन-पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	20 अगस्त, 2013	30 अगस्त, 2013	20 अगस्त, 2013	30 अगस्त, 2013
11	मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा परिषद् कार्यालय में आवेदन-पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	04 सितम्बर, 2013	04 सितम्बर, 2013	04 सितम्बर, 2013	04 सितम्बर, 2013

Dr 12/7/2013  
(डॉ दया कृष्ण मथेला)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)।

पृ0सं0 :-समन्वय/23/ 14-54 /

दिनांक : 12-07-2013

उपरोक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून।
5. शिक्षा निदेशक(प्रारम्भिक) विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून।
6. शिक्षा निदेशक, अकादमिक, एवं प्रशिक्षण विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून।
7. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, (नैनीताल/पौड़ी)।
8. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने जनपद में उक्त विज्ञप्ति को व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करायें तथा सभी संस्थाओं को इस आशय का निर्देश भी दे दें कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क राजकोष में लेखा शीर्षक "0202- शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति, 01- सामान्य शिक्षा, 102- माध्यमिक शिक्षा, 02 बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा तथा निर्धारित तिथि तक अग्रसारण अधिकारियों को परीक्षार्थी आवेदन पत्र जमा करायेंगे।
20. निदेशक, अकाशवाणी नजीबाबाद/अल्मोड़ा केन्द्र को प्रादेशिक समाचारों के अन्तर्गत प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित।
21. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
22. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
23. समाचार पत्रों के सम्मानित सम्पादकों को इस अनुरोध से प्रेषित कि यह विज्ञप्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड से सम्बन्धित व्यापक लोक महत्व की सूचना है। अतः अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में इस सूचना को उत्तराखण्ड संस्करण में प्रमुखता से निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

12/7/2013  
(डॉ दया कृष्ण मथेला)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)।

